

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1977
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ
.....
नदियों में प्रदूषण को नियंत्रित करना

1977. डॉ. आनन्द कुमार गोड़:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा देश की नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए कार्यान्वित की गई/की जा रही योजनाओं का व्यौरा क्या है और इनसे क्या उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं;
- (ख) सरकार द्वारा विगत पाँच वर्षों के दौरान नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु व्यय की गई निधि का व्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा नदी का जल पीने योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/ उठाए जा रहे हैं और इस उद्देश्य हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई हैं;
- (घ) क्या सरकार की सभी छोटे और बड़े शहरों के समस्त मलजल को नदियों में प्रवाहित होने से पहले उसे सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के माध्यम से उपचारित करने की कोई योजना है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय निकायों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों को प्राप्तकर्ता जल निकायों या भूमि में छोड़ने से पहले, उनमें प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें। यह मंत्रालय गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम और देश की अन्य नदियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि बाह्य स्नान के लिए निर्दिष्ट सर्वोत्तम जल गुणवत्ता प्राप्त की जा सके।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, कुल 212 सीवेज अवसंरचना परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें 5220 किमी लंबा सीवर नेटवर्क बिछाना और 6540 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी)

सीवेज उपचार क्षमता निर्मित करना शामिल है। इनमें से 136 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3781 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता का निर्माण/पुनर्स्थापन हुआ है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक लगभग 20,000 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से, पिछले 5 वर्षों के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर लगभग 10,500 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

एनआरसीपी में अभी तक देश के 17 राज्यों की 57 नदियों को 8970 करोड़ रुपये की लागत से कवर किया गया है और चिन्हित शहरों में 2945 एमएलडी की कुल सीवेज उपचार क्षमता निर्मित की गई है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पिछले 5 वर्षों के दौरान 1677 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत मिशन - शहरी की योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य चिन्हित कस्बों में सीवेज अवसंरचना का निर्माण और/या संवर्धन करना है और इस प्रकार उन कस्बों में नदियों और अन्य जल निकायों, स्वच्छता प्रणालियों और जल प्रबंधन की जल गुणवत्ता में सुधार करना है।

नदियों की सफाई/पुनरुद्धार एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों के आधार पर देश में नदियों के प्रदूषण आकलन पर सीपीसीबी की वर्ष 2022 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्रदूषित नदी खंड वर्ष 2018 में 351 की तुलना में घटकर 311 हो गए। साथ ही, 106 नदी खंड प्रदूषित नहीं पाए गए और 74 खंडों में नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। गंगा नदी के मामले में, सीपीसीबी रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के विभिन्न खंडों में सुधार देखा गया है और घुलित ऑक्सीजन स्वीकार्य सीमा के भीतर पाई गई है तथा इसके पूरे खंड में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए संतोषजनक है। साथ ही, गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और गंगा बेसिन के नए खंडों और नदियों में इसकी उपस्थिति देखी गई है जो संरक्षण प्रयासों के कारण नदियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार को दर्शाता है।

(घ) और (ङ): पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अंतर्गत निर्धारित अपशिष्ट जल प्रवाह मानकों के अनुसार, शहरों/कस्बों से निकलने वाले घरेलू अपशिष्ट जल को सतही जल, भूमि या सार्वजनिक सीवेज प्रणाली में छोड़ने से पहले उसका उपचार करना आवश्यक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओए संख्या 673/2018 में दिए निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार के लिए चिन्हित शहरों/कस्बों में सीवेज प्रबंधन सहित कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समय-समय पर राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है।
